29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1259–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–01–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल के प्र0क्र0–145/अपील/2009–10

.....

भगवान सिंह(मृत) वैध वारिसः–

1– सीताराम आत्मज स्व0 श्री भगवान सिंह
2– धनसिंह उर्फ मूलचंद आत्मज स्व0 श्री भगवान सिंह
3– माखनसिंह आत्मज स्व0 श्री भगवान सिंह
4– चुन्नीलाल आत्मज स्व0 श्री भगवान सिंह
5– बृजमोहन आत्मज स्व0 श्री भगवान सिंह
6– सुमित्राबाई पुत्री स्व0 श्री भगवान सिंह
7– मुलियाबाई पुत्री स्व0 श्री भगवान सिंह
समस्त निवासी–ग्राम पाताल खो कृषक मऊकलां
तहसील बुदनी, जिला–सीहोर(म0प्र0)

––––––आवेदकगण

विरूद्ध

किशोरीलाल आत्मज मुकन्दीलाल
निवासी–ग्राम महूकला तहसील बुदनी, जिला–सीहोर

––––––अनावेदक

.....

श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 21/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्र0क्र0–145/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10–01–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता स्व. भगवान सिंह के नाम से ग्राम महूँकला की विवादित भूमि खसरा नं. 180/1 रकबा 0.50 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी अंकित है इसके पूर्व उक्त सर्वे नं. का रकबा 9.96 एकड़ का अभिषेक इण्डस्ट्री को विक्रय करने के उपरांत 0.50 एकड़ भूमि आवेदक के पिता के नाम स्वत्व एवं स्वामित्व राजस्व परिपत्रों में शेष सर्वे नं. 180/1 रकबा 0.50 एकड़ भूमि अंकित रहीं । आवेदकगण के पिता द्वारा सर्वे नक्शा 180/1 रकबा 0.50 एकड़ भूमि नियमानुसा पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर सीमांकन दिनांक 17.04.2008 को कराया गया । उक्त सर्वे नं0 के भाग (180/1 रकबा 0.50 एकड़) पर 450 वर्गफीट एवं 600 वर्गफीट पर अवैध कब्जा पाया गया । उक्त अवैध कब्जे वाली भूमि पर से अनावेदक द्वारा अधिपत्य न छोड़े जाने के कारण आवेदकगण के पिता द्वारा आवेदन धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 का पेश किया । उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 3/अ–70/2007–08 दर्ज करते हुये, न्यायालय द्वारा एक आलोच्य आदेश दिनांक 25.07.2009 को पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध में आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 31.03.2010को अमान्य किया गया । अनुविभागीय अधिकारी बुदी के आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2009–10 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 10.01.2011 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अस्वीकार किया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2011 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 129 एवं 250 के प्रावधानों को समझने में गंभीर भूल की है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि " अवैध कब्जा, अवैध ही होता है भले ही वह कितना ही पुराना क्यों न हो" इस प्रावधान को अनदेखा करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह मानते हुये जो आदेश पारित किया गया गया है कि अनावेदक का अवैध कब्जा 90X60 पर है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि पर मकान निर्माण कर कब्जा किया गया है जो कि पुराना है । उक्त आदेश बोलता हुआ

न्यायिक आदेश न होकर मात्र प्रशासनिक आदेश होने से हस्तक्षेप कर निरस्त किया जाने योग्य है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से न्यायिक अवलोकन न करते हुये स्वत्व, स्वामित्व की कृषि लगानी भूमि को अपरोक्ष रूप से आबादी भूमि मान्यस करते हुये तथा पुराना अवैध कब्जा मान्य कर जो आदेश पारित किया है वह न्यायसंगत नहीं है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वाराा प्रस्तुत तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर अनावेदक किशोरीलाल का अवैध कब्जा 90X60 पर है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर मकान निर्माण कर कब्जा किया गया है जो कि पुरानी है । अतः विचारण न्यायालय तहसीलदार बुदनी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु धारा 250 के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2011 स्थिर रखा जाता है. । प्रकरण समाप्त किया जाता है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,